धारा 110 के अधीन निर्मित नियम

नामांतरण एवं अन्य भू-अभिलेख को तैयार करने से संबंधित नियम

इस धारा को प्रभावी करने हेतु नामांतरण नियम भी अत्यंत आवश्यक है। संशोधन के पूर्व जिस प्रकार यह धारा थी उसके अनुरूप सन् 1960 में नामांतरण नियम बनाए गए थे। इस धारा के संशोधन के बाद सन् 1965 में नये नामांतरण नियम निर्मित किए गए। ये नियम 2 जुलाई, 1965 को प्रभावी हुए। राजस्व मंडल का मत यह है कि इस तारीख के पहले शुरु होने वाली नामांतरण की कार्यवाही से पुराने नामांतरण नियम प्रभावी होंगे।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1965 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2498-7-ना-1, दिनांक 10 जून, 1965 द्वारा संहिता की धारा 108, 109, 110, 112, धारा 114 की उपधारा (2) तथा धारा 123 की उपधारा (3) सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (चौबीस-क), (चौबीस-ख), (पच्चीस-क), (पच्चीस-ख) तथा (सत्ताईस-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर पहले निर्मित सभी नियमों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

नियम

1. इन नियमों में—

(क) "**संहिता**" से अभिप्राय छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) से है;

(ख) "**धारा**" से अभिप्राय संहिता की धारा से है;

(ग) "**प्ररूप**" (फार्म) से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है;

(घ) पटवारी अभिव्यक्ति में नगर सर्वेक्षक, सहायक नगर सर्वेक्षक या संहिता के नवें अध्याय के तहत् पटवारी के कर्तव्यों को पूरा करने हेतु नियुक्त कोई भी अन्य कर्मचारी, सम्मिलित समझा जाएगा।

एक —अधिकार-अभिलेख तैयार करना

2. नगरीय और नगरेतर, दोनों क्षेत्रों के ग्रामों के लिए प्ररूप 'क' में अधिकार-अभिलेख बनाया जाएगा।

3. बंदोबस्त चालू रहने के समय जब भी सरकार निर्णय ले कि किसी भी ग्राम या ग्रामों के लिए अधिकार अभिलेख बनाया किया जाए तब इस विषय में प्ररूप (फार्म) 'ख' में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसे सभी ग्रामों में डोंडी पिटवा कर घोषित किया जाएगा और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, चौपाल, गुडी या सार्वजनिक समागम के किसी दूसरे स्थान में चस्पा दी जाएगी।

4. उक्त अधिसूचना में, अधिकार-अभिलेख बनाने हेतु लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उल्लेख भी किया जाएगा।

5. नियम 3 में विहित तरीके से इस अधिसूचना के जारी और प्रकाशित कर दिए जाने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी पटवारी से प्ररूप ''क'' में एक पंजी निर्मित करवाएगा जिसमें पटवारी को प्राप्त रिपोर्टों से और/या अपनी स्वयं की जाँच-पड़ताल के आधार पर प्राप्त सभी आवश्यक जानकारी दर्ज की जाएगी।

6. यदि पंजी में दर्ज होने को प्रस्तावित किसी भी प्रविष्टि के विषय में कोई विवाद हो तो पटवारी ऐसी प्रविष्टियाँ अपूर्ण छोड़ देगा और विवाद पंजी में विवाद के विवरण लिख लेगा। विवादग्रस्त मामलों में पंजी प्ररूप 'ग' में संधारित की जाएगी।

7. जब प्ररूप 'क' और 'ग' वाली पंजियाँ भर जाएँ, तब पटवारी अधिकार-अभिलेख बनाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को इसकी जानकारी देगा, जो वह दिनांक एवं स्थान निर्दिष्ट करेगा जब एवं जहाँ वह अधिकार-अभिलेख में प्रविष्टियों को अंतिम रूप देगा।

8. (1) पटवारी उन समस्त व्यक्तियों को, जो उसे अधिकार-अभिलेख में की जाने वाली प्रविष्टियों से संबंद्ध प्रतीत हों, अधिकार-अभिलेख बनाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के सामने अपने हित के विषय में प्रतिनिधित्व करने हेतु हाजिर होने की तारीख की सूचना व्यक्तिगत रूप से देगा।

(2) संबंधित गाँव (गाँवों) में उद्घोषणा जारी की जाएगी जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों को, जिनका अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टियों में हित निहित हो, बुलाया जाएगा तथा इसकी डोंडी पिटवा कर घोषणा की जाएगी तथा उसे ग्राम पंचायत के कार्यालय में तथा चौपाल या गुडी या सार्वजनिक मिलन के दूसरे स्थान में भी चस्पा किया जाएगा।

9. इस प्रकार निर्दिष्ट तारीख को अधिकार-अभिलेख निर्मित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप-क की पंजी में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि की पड़ताल की जाएगी एवं सभी हाजिर व्यक्तियों को पढ़ कर सुनाई जाएगी। यदि हितबद्ध कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि का सही होना स्वीकार कर ले एवं कोई व्यक्ति उस पर आपत्ति न करे, तो उसकी स्वीकृति अधिकारी द्वारा टिप्पणी के खाने में प्रविष्ट कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि कोई आपत्ति हो तो उसके द्वारा विवादास्पद मामलों की पंजी प्ररूप 'ग' में दर्ज की जाएगी।

10. अधिकार-अभिलेख की तैयारी के समय होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी उक्त अधिकारी को प्रदत्त की जाएगी।

11. निर्विवाद प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने के बाद उक्त अधिकारी विवादास्पद प्रकरणों का निर्णय करेगा एवं वह अपने निर्णय को प्ररूप 'ग' की पंजी के समुचित खाने में प्रविष्ट करेगा।

12. इसके बाद उक्त अधिकारी, अधिकार-अभिलेख (प्ररूप 'क' की पंजी) में अपूर्ण छोड़े गए खानों से संबंद्ध प्रविष्टियाँ करेगा एवं उसके प्रतीक स्वरूप संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।

13. जब किसी ग्राम का अधिकार-अभिलेख संपूर्ण हो जाए, तब उसे बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियम 8 में दिए गए तरीके से उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें वह अधिकार-अभिलेख के बनाने की सूचना सभी व्यक्तियों को देगा और उसमें हितबद्ध सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए आहूत करेगा कि वे उसका निरीक्षण कर ले और यदि वांछा तो उसमें दर्ज की गई प्रविष्टि के विषय में कलेक्टर को अपील कर सकेंगे। अपील के प्रयोजनार्थ ऐसी उद्घोषणा की तारीख प्रविष्टियों के सूचित करने की तारीख मानी जाएगी।

दो — अंतरिम अधिकार-अभिलेख तैयार करना

14. धारा 123 के अध्यधीन अधिकार-अभिलेख मानी गई जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी का प्रकाशन उसकी एक प्रति गाँव की पंचायत कार्यालय में तथा चौपाल या गुडी या सार्वजनिक मिलन के किसी दूसरे स्थान पर चस्पा कर किया जाएगा तथा उसमें की गई प्रविष्टियों के खिलाफ आपत्तियाँ संपूर्ण गाँव में डोंडी पिटवा कर आमंत्रित की जाएँगी।

15. इस तरह प्राप्त आपत्तियाँ पटवारी द्वारा विवादित प्रकरणों की पंजी में प्रविष्ट की जाएँगी और नियम 8 से 12 तक में विहित रीति से, जहाँ तक वे सुसंगत हों, उन पर निर्णय किया जाएगा।

16. इसके बाद विहित नामांतरणों के विषय में किया गया निर्णय अधिकार-अभिलेख मानी गई जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी की मूल प्रति में स्थानान्तरित किया जाएगा। यदि बहुत ज्यादा सुधार किए गए हों तो जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी की एक साफ प्रति बनाई जाएगी।

तीन — रसीद बही

17. धारा 114 के अध्यधीन निर्धारित बही प्ररूप 'घ' में होगी। सरकारी मुद्रणालय में मुद्रित एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर से युक्त रसीद बही ही विधिक रसीद बही होगी।

18. रसीद बही दिए जाने के पहले तहसीलदार उसके पहले पृष्ठ को हस्ताक्षरित करेगा तथा अपने न्यायालय की मुहर अंकित करेगा।

19. (1) ग्राम के प्रत्येक भूमिस्वामी को रु. 2 का भुगतान करने पर एक रसीद बही प्रदत्त की जाएगी।

(2) विभिन्न ग्रामों में भूमिस्वामियों द्वारा रखे गए खातों हेतु पृथक्-पृथक् रसीद बही होगी।

(3) रसीद बही केवल उतने वर्षों हेतु वैध होगी, जिनके लिए वह तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो।

20. रसीद बही में प्रविष्टियाँ वर्ष के अंतिम खसरा एवं जमाबंदी को आधार मानते हुए की जाएँगी एवं उन पर पटवारी के हस्ताक्षर होंगे तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

21. प्रत्येक सह-अंशभागी का अंश उस स्थिति में रसीद बही में दर्शित होना आवश्यक है जब खसरे में ऐसा अंश दर्शित करते हुए प्रविष्टि पूर्व में ही हो। यदि खसरे में ऐसी कोई प्रविष्टि न हो, तो प्रत्येक का अंश एक राय होने से तहसीलदार द्वारा संक्षेप से निश्चित किया जाएगा एवं खसरा तथा रसीद बही में दर्शित किया जाएगा। यदि सहमति बन सके, तो अंश नहीं दर्शित किए जाएँगे।

22. रसीद बही उन भू-स्वामियों को नहीं दी जाएगी जिनके खातों के विषय में राजस्व या सिविल न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा हो।

23. प्रत्येक वर्ष प्रमाणन दौरे के समय तहसीलदार सभी भूमिधारकों की रसीद बही अभिप्राप्त करेगा। यदि किसी भू-धारक से संबंधित प्रविष्टियों में कोई बदलाव न हुआ हो तो तहसीलदार रसीद बही को अभिप्रमाणित कर वापस कर देगा। यदि उनमें कोई बदलाव हुए हों तो रसीद बही में प्रविष्टियाँ करके उस पर पटवारी के हस्ताक्षर होंगे और उसे तहसीलदार अनुप्रमाणित करेंगे।

चार — खसरे में नामांतरण

[1][24. पटवारी, प्ररूप-ङ में नामांतरण पंजी ऑनलाईन संधारित करेगा, जिसमें वह धारा 109 के अंतर्गत उसे सूचित किये गये पंजीकृत विलेख, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, इच्छापत्र अथवा पट्टे द्वारा

---

1. अधिसूचना क्र. एफ 4-28/2021/सात-4, दिनांक 12-5-2022 द्वारा नियम 24 से 32 प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-5-2022 को पृष्ठ 689-690(1) पर प्रकाशित। प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 24 से 32 निम्नानुसार था :—

"24. पटवारी प्ररूप-ङ में एक पंजी संधारित करेगा, जिसमें वह धारा 109 के अध्यधीन उसे सूचित पंजीकृत विलेख, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, वसीयत या पट्टे द्वारा अंतरणों के कारण हकाधिकार से संपन्न प्रत्येक बदलाव या ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त प्रज्ञापनों के आधार पर उसके संज्ञान में लाए गए प्रत्येक बदलाव को गाँव-वार प्रविष्ट करेगा।

25. पंजी में माह के अन्दर की गई प्रविष्टि की एक प्रति, पटवारी द्वारा प्रत्येक माह के अंत में, तहसीलदार को प्रेषित की जाएगी। यदि किसी माह में पंजी में हुई प्रविष्टि नहीं की गई हो, पटवारी द्वारा तहसीलदार को खाली रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

26. नामांतरण पंजी में प्रविष्टियों का प्रमाणन, ग्राम पंचायत के मुख्यालय या इस प्रयोजनार्थ तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य सुगम स्थान में किया जाएगा।

27. पटवारियों या पंजीयन अधिकारियों से धारा 112 के अधीन सूचना हासिल होने पर तहसीलदार ऐसी सूचना को संबंधित ग्राम में डोंडी पिटवा कर अपने रीति से प्रचार करवाएगा एवं सूचना की एक प्रति गाँव के चौपाल, गुडी या लोक समागम के अन्य किसी स्थान पर लगवाएगा और उसकी एक प्रति उस गाँव की ग्राम पंचायत को भी प्रेषित करेगा। वह उन सभी व्यक्तियों को तत्संबंध लिखित सूचना भी देगा जो उसे नामांतरण से संबंद्ध प्रतीत हों।

28. सूचना में वर्णित की जाने वाली तारीख एवं स्थान पर तहसीलदार संबंद्ध पक्षों को सुनेगा और नामांतरण प्रविष्टि को प्रमाणित करेगा, एवं जब पक्ष उचित रीति से सूचना तामील किए जाने के बावजूद गैरहाजिर रहें तो प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित की जाएगी।

29. तहसीलदार हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में प्रविष्टि पढ़ कर सुनाएगा और जब प्रविष्टि का सही होना स्वीकार कर लिया जाए तब वह ऐसी स्वीकृति को नामांतरण पंजी में प्रविष्ट करेगा तथा अपने हस्ताक्षराधीन पृष्ठांकित करेगा कि प्रविष्टि विधिनुसार प्रमाणित की गई है और उस संशोधित प्रविष्टि को भी बताएगा जो प्रमाणीकरण के फलस्वरूप खसरे में प्रविष्ट की जाएगी।

30. तहसीलदार के समक्ष पेश समस्त मूल दस्तावेजें उसके द्वारा पृष्ठांकित होंगे और आदेशित होने के बाद अविलंब ही पक्षकारों को लौटा दी जाएँगी।

31. परिवर्तन, सर्वप्रथम नामांतरण पंजी में गाँव-वार प्रविष्ट किए जाएँगे। जहाँ कोई विरोध न हो वहाँ नामांतरण तहसीलदार द्वारा पंजी में ही अभिप्रमाणित कराए जाएँगे एवं रसीद बही में समुचित प्रविष्टियाँ की जाएँगी। यदि विरोध हो तो पृथक्-पृथक् प्रकरण चलाने हेतु पंजी का संक्षेपण लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुभिन्न मामले प्रारंभिक किए जाएँगे। तहसीलदार नामांतरण पंजी में इस विषय में एक प्रमाणपत्र देगा कि अविवादित मामलों में मंजूर किए गए नामांतरणों के अनुरूप ही रसीद बही में प्रविष्टियाँ हुई हैं तथा विवादित प्रविष्टियों हेतु अलग से मामले शुरु किए गए हैं।

32. विवाद तहसीलदार द्वारा संक्षेप में स्वत्व के आधार पर ही निस्तारित किए जाएँगे, न कि कब्जे के आधार पर कोई व्यक्ति, जिसका नाम खसरा में दर्ज न हो, किया गया भूमि का हस्तांतरण, तहसीलदार द्वारा नामांतरण हेतु स्वीकृत न किया जाएगा। आदेश में पक्षकारों तथा गवाहों के नाम होंगे एवं इस पर तहसीलदार के निष्कर्षों सहित किसी भी पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का संक्षेपण भी होगा।"

अंतरणों के कारण भूमि स्वामित्वाधिकार में किये गये अथवा ग्राम पंचायत या ऑनलाईन माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त प्रज्ञापनों के आधार पर उसकी जानकारी में लाये गये प्रत्येक परिवर्तन को, ग्रामवार दर्ज करेगा।

25. धारा 109 के अधीन व्यक्तिगतरूप से प्राप्त हुए अधिकार अर्जन की जानकारी प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा प्ररूप च में अभिस्वीकृति दी जायेगी।

26. पंजीयन संबंधी दस्तावेज, उप पंजीयक द्वारा ई पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुईया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के आई.डी. में प्रेषित किया जाएगा। पंजीयन के समय ही उप पंजीयक द्वारा, भूमि पर अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से, ग्राम पंचायत द्वारा या तहसीलदार द्वारा ऑनलाईन नामांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु विकल्प प्राप्त किया जायेगा।

27. पटवारी, पंजीकृत विलेख के साथ ग्राम पंचायत का विकल्प प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत के समक्ष एवं तहसीलदार का विकल्प प्राप्त होने पर, तहसीलदार के समक्ष 07 दिवस के भीतर मूल राजस्व अभिलेखों से सत्यापन करते हुए, पोर्टल में उपलब्ध प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

28. अविवादित नामांतरण प्रकरणों में, ग्राम पंचायत, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, साथ ही 15 दिवस की आम सूचना (ईश्तहार) का प्रकाशन करते हुए, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं सार्वजनिक स्थलों पर सूचना की प्रति चस्पा करेगा। ग्राम पंचायत, बैठक में अविवादित नामांतरण के मामले में प्रस्ताव (संकल्प) पारित करेगा और अभिलेख के सुधार हेतु संबंधित पटवारी को भेजेगा तथा किसी नामांतरण के मामले में विवाद की स्थिति पाये जाने पर, पंचायत, प्रस्ताव (संकल्प) के साथ आगामी 03 दिवस के भीतर तहसीलदार को ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल पर अग्रेषित करेगा।

29. तहसीलदार, पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा तथा स्थानीय निकाय के सूचना पटल पर, तहसीलदार के कार्यालय के सूचना पटल पर, सार्वजनिक स्थलों पर एवं विभागीय वेबपोर्टल पर, जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आम सूचना (ईश्तहार) प्रदर्शित करेगा।

30. तहसीलदार, कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर, हितबद्ध पक्षकारों की सहमति दर्ज करने के पश्चात्, नामांतरण पंजी में नामांतरण आदेश पारित करेगा तथा संबंधित पटवारी को राजस्व अभिलेख अर्थात् खसरा, बी-1 एवं नक्शा में तद्नुसार प्रविष्टि हेतु भेजेगा।

31. तहसीलदार, कोई दावा/आपत्ति प्राप्त होने पर, ई-नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई-राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा तथा विधि के अनुसार सभी पक्षकारों एवं दावा-आपत्ति करने वालों की सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

32. नामांतरण के प्रकरण, स्वीकृत स्वत्व के आधार पर ही विनिश्चित किये जाएँगे, न कि आधिपत्य के आधार पर।]

32(क). [1][* * *]

---

1. अधिसूचना क्र. एफ 4-28/2021/सात-4, दिनांक 12-5-2022 द्वारा नियम 32(क) विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-5-2022 को पृष्ठ 689-690(1) पर प्रकाशित। विलोपन के पूर्व नियम 32(क) निम्नानुसार था :—

"**32(क).** यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे क्षेत्रफल के भू-खण्ड, जिसका अंकन उस क्षेत्र के क्षेत्र नक्शा में करना संभव न हो, पर हित अर्जित किया जाता है, तो हित अर्जन करने वाला व्यक्ति, राजस्व

(शेष पृष्ठ 316 पर)

[1][33. नामांतरण आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर, पटवारी, ग्राम के खसरा, नक्शा एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में आदेशानुसार प्रविष्टि करेगा। किसी नामांतरण आदेश के अनुसार मूल नक्शे में बटांकन संभव नहीं होने पर, नक्शे को 1:500 में फैलाकर, नक्शे का भाग निर्मित किया जाएगा। पटवारी, पहले आये पहले गये क्रम में (इन आर्डर टू फर्स्ट आउट), नक्शा सहित अन्य अभिलेखों को अद्यतन करते हुए, डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन करेगा। पटवारी, सत्यापित किसान-किताब, पक्षकारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

34. अविवादित नामांतरण प्रक्रिया हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकरण का निराकरण नहीं किए जाने की दशा में, संबंधित प्राधिकारियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधान लागू होंगे।]

35. [2][* * *]

(*पृष्ठ 315 का शेष*)

अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन के साथ वर्तमान सर्वेक्षण संख्यांक के नक्शे को 1:500 के पैमाने पर फैलाकर, उसमें भू-खण्ड के उस हिस्से का अंकन कर, जिसका उसके द्वारा हित अर्जन किया गया है, प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् ही, उस हित अर्जन करने वाले व्यक्ति के लिए उस सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन कर एक उपखण्ड सृजित किया जायेगा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत नक्शे को क्षेत्र नक्शा का भाग समझा जायेगा।''

1. अधिसूचना क्र. एफ 4-28/2021/सात-4, दिनांक 12-5-2022 द्वारा नियम 33 एवं 34 प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-5-2022 को पृष्ठ 689-690(1) पर प्रकाशित। प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 33 एवं 34 निम्नानुसार था :—

''33. विवादित प्रकरणों का निस्तारण हो जाने पर तहसीलदार द्वारा खसरे तथा रसीद बही की प्रविष्टियों में संशोधन करा लिया जाएगा। तहसीलदार नामांतरण पंजी में यह प्रमाणित करेगा कि विवादित प्रकरणों में लिए गए निर्णयों के अनुरूप ही रसीद बही तथा खसरे में प्रविष्टियाँ की गई हैं।

34. भूमि के संव्यवहारों के प्रज्ञापन, जो पंजीयन करने वाले अधिकारियों को धारा 112 के अधीन प्रेषित करने होते हैं प्ररूप 'च' में होंगे। पिछले माह के संव्यवहार हेतु प्रत्येक मास के पूर्व सप्ताह में एक अलग प्ररूप प्रत्येक ग्राम हेतु बनाया जाएगा तथा तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।''

2. अधिसूचना क्र. एफ 4-28/2021/सात-4, दिनांक 12-5-2022 द्वारा नियम 35 विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-5-2022 को पृष्ठ 689-690(1) पर प्रकाशित। विलोपन के पूर्व नियम 35 निम्नानुसार था :—

''35. धारा 109 के अध्यधीन प्राप्त हुए अधिकार अर्जन के रिपोर्ट की दी जाने वाली अभिस्वीकृति प्ररूप 'छ' में होगी।''